Form no 111

फर्द अहकाम
(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवानः— नरेश कुमार बनाम सुरेन्द्र कुमार आदि

धारा :— 88,188 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्याः— 233 / 2019

26.7.19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
26.7.2019	अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के वाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.8.2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26-8-19	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी सं. 3 की ओर से श्री जयप्रकाश बैनीवाल वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया गया शामिल पत्रावली किया। उभयपक्ष स्वयं उपस्थित राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली पत्रावली गया। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी प्रतिवादी संख्या 4 दिनांक 20-9-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	Naresh Jk जयप्रकाश सुरेन्द्र कुमार शर्मिला ह- [illegible]
20-9-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित जवाब क्लेम पेश हुआ शामिल पत्रावली किया गया वादी द्वारा साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध कोई अनुतोष न चाहते आवत निवेदन करते हुए बाद वादी स्वीकार करने हेतु निवेदन किया वादी वकील के कथनों पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन मुताबिक राजीनामा बाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत	I by me. जयप्रकाश (जयप्रकाश बैनीवाल) Naresh by जयप्रकाश

---लगातार

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

लगातार..

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो

(कपिल यादव)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 233/2019

1 नरेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — वादी

–:: बनाम ::–

1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 शर्मिला पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार पत्नि विकास निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 इन्द्रा पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 एस.बी.आई. शाखा ए.डी.बी. हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. ए.डी.बी. शाखा हनुमानगढ़ टाउन।

5 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। — — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभापकगण ::–

1.	श्री रामकुमार सहारण अधिवक्ता	वादी
2.	श्री जयप्रकाश बैनिवाल अधिवक्ता	प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
3.	राज पैरोकार	प्रतिवादी संख्या 4

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 20.09.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पिता के नाम चक नम्बर 7 आर.पी."बी" तहसील हनुमानगढ़ की जमाबंदी सम्वत 2072–75, खाता संख्या 34 के पत्थर नम्बर 167/356 (4) के किला नम्बर 9 ता 15 सालम, पत्थर नम्बर 160/356 (5) किला नम्बर 11/1/.189, 12/1/.240, 13/1/.011, 18/1/.012, 19 सालम, 20/2/.202, 21/2/.202, 22/.253, 23/1/.012 कुल किता 16 में 3.145 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि चक नम्बर 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 210 के पत्थर नम्बर 163/364 (18) किला नम्बर 13/1/.201, 18/1/.215, 23/3/.176, पत्थर नम्बर 163/365 (25) किला नम्बर 3/2/.058, 4, 5, 6, 7 सालम 8/3/.065 कुल किता 9 में 1.727 हैक्टर नहरी भूमि मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल पटवार है। जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से यह कृषि भूमि वादी के दादा मनीरामसे विरास्तन प्राप्त हुई जिसमें वादी का हक व हिस्सा है। वादी नें प्रतिवादी से अपने हिस्से की कृषि भूमि वादी के नाम करवाने तथा उसको अपनें हिस्से की कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 जानबुझकर वादी के नाम कृषि करवाने रो टालमटोल करता रहा तथा प्रतिवादी संख्या 1 कहता है कि इस कृषि भूमि में तेरी माता इन्द्रा का भी हिस्सा बनता है तथा मेरी माता भी यह कहती है कि तु जमीन लेगा तो मेरी भी मेरे ससुर की जमीन में हिस्सा बनता है। मेरी माता कहती है कि

लगातार 2

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डअधिकारी
हनुमानगढ़

जब तक बराबर का हिस्सा मेरे नाम दर्ज नहीं होगा तब तक मै तेरे नाम जमीन नही होने दूंगी। मेरी बहिन शर्मिला अपने ससुराल में खुशहाल व आबाद है तथा उसने अपना हिस्सा नही लेना तय किया है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी को वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में उसके हित व अधिकार को जानबुझाकर नजर अंदाज कर रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि वादी के नाम नही करवाना चाहता है। इस सम्बंध में वादी ने कई बार रिश्तेदारो से पंचायत भी करवाई तथा वादी ने वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा लेना भी तय कर लिया। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 वादी के नाम उसका हिस्सा दर्ज करवाने से इंकार कर रहा है।

वादी ने रिश्तेदारो के साथ हुई घराघरू पंचायत में वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम करवाने पर भी सहमति जता दी परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा भी वादी के नाम करवाने से दिनांक 15.07.2019 को कतई इंकार हो गया। यही वाद कारण है।

वादी का दावा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है तथा हर प्रकार से अन्दर मियाद है तथा उचित न्यायशुल्क पर पेश है। प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को पक्षकारा बनाया गया है जो भू–स्वामी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 के यहां भूमि रहन होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो लिहाजा दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के साथ 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार से रहन व्यय व अन्य तरीके से अन्तरित करने से निषेध किया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय वादी को दिलवाना उचित समझे, दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 26.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण में पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि वादी के दादा से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि चक नम्बर 7 आर.पी.बी. तहसील हनुमानगढ की जमांबदी संम्वत 2072–75 खाता संख्या 34 के पत्थर नम्बर 167/356 (4) किला नम्बर 9 ता 15 सालम, पत्थर नम्बर 168/356 (5) किला नम्बर 11/1/.189, 12/1/.240, 13/1/.011, 18/1/.012, 19 सालम, 20/2/.202, 21/2/.202, 22 सालम, 23/1/.012, कुल किता 16 में 3.145 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि चक नम्बर 9 आर. पी. तहसील हनुमानगढ जमाबदी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 210 के पत्थर नम्बर 163/364 (18) किला नम्बर 13/1/.201, 18/1/.215, 23/3/.176, पत्थर नम्बर 163/365 (25) किला नम्बर 3/2/.058, 4, 5, 6, 7 सालम, 8/3/.065 कुल किता 9 में 1.727 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 3

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

रिकार्ड में दर्ज है। इस कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शर्मिला ने अपना कोई हिस्सा नहीं लेना तय किया है। शर्मिला अपने ससुराल में खुशहाल व आबाद है तथा अपने दादा से आई समपत्ति में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती। इस राजीनामा के अनुसार वादी नरेश कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार व प्रतिवादी संख्या 3 इन्द्रा ने राजीनामा में वर्णित व वादपत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा लेना तय किया है। इस राजीनामा के अनुसार चक 7 आर.पी. (बी) व चक 9 आर.पी. की कृषि भूमि नरेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार, इन्द्रा के नाम से 1/3 दर्ज की जाती है तो किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है।

लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादपत्र की धारा 2 व राजीनामा में वर्णित चक 7 आर.पी. "बी" व चक 9 आरपी की कृषि भूमि नरेश कमार, सुरेन्द्र कुमार, इन्द्रा के नाम से 1/3 दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाये।

स्टेट की और से पैरोकार राज द्वारा वाद पत्र का मदवार जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये किये गये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर. 1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 4

Scanned by CamScanner

आर.आर.डी. 2008 पेज 481 की नजीर पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 अपनें पति के जीवित रहते हुए पुत्रों द्वारा पैतृक सम्पत्ति के बराबर विभाजन की मांग करनें पर उसे भी पुत्रों के बराबर हिस्से की मांग की है, जो प्रिसिपल आफ हिन्दू ला के पैरा 315 के विवेचन एवम् गुरूपत खण्डापा बनाम हीराबाई में प्रतिपादित सिद्वान्तों के आधार पर अपना हिस्सा प्राप्त करनें की अधिकारिणी है तथा वह अपनें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में पति व पुत्रों के बराबर के हिस्से की घोषणा करवानें की अधिकारिणी है। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार के नाम चक 7 आर.पी. (बी) व चक 9 आर.पी. की वाद पत्र में वर्णित भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 2 पत्नि होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 7 आर.पी.''बी'' के खाता संख्या 34 की 3.145 हैक्टर कृषि भूमि चक नम्बर 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 210 की 1.727 हैक्टर इस प्रकार दोनों चकों की कुल 4.872 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि ''सुरेन्द्र कुमार वल्द मनीराम जाति जाट साकिन रणजीतपुरा '' को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर ''सुरेन्द्र कुमार वल्द मनीराम जाति जाट साकिन रणजीतपुरा, नरेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तथा इन्द्रा पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रणजीतपुरा को बहिस्सा बराबर खातेदार'' घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 20.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(6)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 233/2019

1 नरेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
– – वादी

–:: बनाम ::–

1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 शर्मिला पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार पत्नि विकास निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 इन्द्रा पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 एस.बी.आई. शाखा ए.डी.वी. हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. ए.डी.वी. शाखा हनुमानगढ़ टाउन।
5 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 20.09.2019

वादी की और से श्री रामकुमार सहारण अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की और से श्री जयप्रकाश बैनिवाल अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 5 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 20.09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 7 आर.पी."बी" के खाता संख्या 34 की 3.145 हैक्टर कृषि भूमि चक नम्बर 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 210 की 1.727 हैक्टर इस प्रकार दोनों चकों की कुल 4.872 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "सुरेन्द्र कुमार वल्द मनीराम जाति जाट साकिन रणजीतपुरा" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "सुरेन्द्र कुमार वल्द मनीराम जाति जाट साकिन रणजीतपुरा, नरेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तथा इन्द्रा पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रणजीतपुरा को बहिस्सा बराबर खातेदार" घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगें। यह डिक्री आज दिनांक 20.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शी के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 18:52:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: